## POLICY DOCUMENT OF POST MATRIC SCHOLARSHIP

## राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग <sup>जी 3/1, अलोबकर भूचर किल</sup>्र के न्यू

जी 3/1, अम्बेइकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(33)उ.मै.छा. / सान्याअवि / पोर्टल / कार्ययोजना / 2021-22 / **25 7 2\_** 

दिनांक : 03.11.21

## <u>आदेश</u>

शैक्षणिक सन्न 2021–22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय,राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वी के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in /scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE App पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.स		निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन	08 नवम्बर, 2021
-	पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा	
	नवीन पंजीयन/ पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए पोर्टल	
	प्रारंभ करने की तिथि	
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन	30 नवम्बर, 2021
	पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा	
	नवीन पंजीयन⁄पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए अंतिम	
	तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	

नवीन छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सन्न 2021–22 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

- 1. <u>आय सीमाः</u>—
  - (अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग—SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंंगे।
  - (ब) अन्य पिछडा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र।(जक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यनतम 60प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी)

- (स) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे
- (द) डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- (य) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संख्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- 2. सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वंय पासवर्ड सृजित कर अथवा ई–मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वंय कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें।
- 3. छात्र / छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी खंय की ही दें ।
- 4. <u>दस्तावेज</u>: उक्तानुसार छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज / सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा सभी दस्तावेज जनाधार / राज ई वोल्ट / डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे जैसे आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाऐं आदि। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

जैसे – गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद,अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु चिन्हित श्रेणी अनुसार वांछित दंस्तावेज आदि।

- 5. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
- जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
- 7. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या जनाधार में उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को जनाधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:-
  - а. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (күс) पूर्ण स्वंय का खाता हो।
  - b. छात्र के खाते में लेन–देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय–अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में

ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

C. बैक खाता बन्द एवं अक्रियाशील (Inoperative) न हो ।

- 8. फीस की रसीद में अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल–कूद शुल्क (Games Fee), 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृति हेतु देय है। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
- 9. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयनः आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोटल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्क्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
- 10. शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शनः जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021–22 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी।इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें।
- 11. वर्ष 2019–20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाऐंगे। जयपुर जिले में सांगानेर ,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ज्ञाने छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्राहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे। उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय बेब साइट पर एवं विभागीय जिला

कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ओ.पी.बुनकर) निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव क्रमांक : एफ 9(4)(33) उ.मै.छा. / सान्याअवि / पोर्टल / कार्ययोजना / 2021-22 / 2573-2595 दिनांक : 03.11.21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:--

- संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर। 1.
- 2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। 3.
- 4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
- 5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
- 6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
- 7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संंस्कृत, बीकानेर/जयपुर। 8.
- निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
- 9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
- 10. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
- 11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- 12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 13. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.............।
- 15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त....... |
- 16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त............ ।
- 17. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त...... |
- १८. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं....... ।
- 19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई—मेल करवाने हेतु।
- 20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

22. रक्षित पत्रावली।

(छात्रवृति एवं छात्रावास)